<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>15.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय, चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ "डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने में की गई धोखाधड़ी" से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7.56 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति उनके बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा (एफडी), बीमा पॉलिसियों और एक भू-संपत्ति के रूप में है।

ईडी ने सीआईडी मेघालय द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स सीएमजे विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय, चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों, जो मेसर्स सीएमजे फाउंडेशन के ट्रस्टी भी थे और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पैसे के बदले फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र देकर हजारों छात्रों को धोखा देने के लिए दायर एफआईआर एवं आरोप पत्र के आधार पर जाँच शुरू की। मेसर्स सीएमजे विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 20,570 डिग्रियां अवैध रूप से जारी की गईं।

ईडी की जाँच में पता चला कि फर्जी डिग्रियां बेचने के बाद, उनके बैंक खातों में प्राप्त धन को झा परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित विभिन्न बैंकों के बैंक खातों और म्यूचुअल फंड के बीच घुमाने के बाद डायवर्ट किया गया और वास्तविक लेनदेन का रंग दिया गया, जबकि कुछ धन को फिक्स्ड डिपॉजिट में भी निवेश किया गया। अपराध की आय (पीओसी) को जमीन की संपत्तियों में भी निवेश किया गया। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 48.76 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****